The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 8 | August 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

बालिकाओं की शिक्षा के प्रति ग्रामीण तथा शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

प्रेमांशु भरद्वाज
शोधार्थी ,शिक्षाशास्त्र विभाग ,गौतम बुद्ध डिग्री कॉलेज उ० प्र०लखनऊ ,

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:
बालिका शिक्षा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, समाज

ABSTRACT

बालिका शिक्षाशिक्षा , का मूल है, बालिकाओं की शिक्षा के द्वारा सम्पूर्ण समाज को शिक्षित किया जा सकता है। बालिकायें ही हैं जो अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ी को हस्तान्तरित करती है। आज बालिकाओं के लिए शिक्षा आवश्यक हैं जिससे कि वे समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकें। मानव अधिकार घोषणा तथा विएना घोषणा के फलस्वरूप विश्वव्यापी स्तर पर नये सिरे से बालिका शिक्षा की नवीन प्रवृत्ति का प्रचलन प्रारम्भ हुआ जिसका प्रभाव भारतीय चिन्तन पर भी पड़ा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात नारी की सामाजिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। जिन बंधनों वह बंधी हुयी थी वह शनैः शनैः प्रभावहीन होते जा रहे हैं, जिस स्वतन्त्रता से उसे वंचित कर दिया गया था, वह उसे पुनः अर्जित कर रही है। शोध का उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना है। शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में 10 0 प्रशिक्षार्थियों का चयन यादृच्छिक न्यादर्श विधि से किया गया है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जिसमें समस्याओं के प्रति सकारात्मक विचार पाए गए हैं।

प्रस्तावना

शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यन्त अनिवार्य घटक है, बिना शिक्षा के मनुष्य को पशु की श्रेणी में रखा जाता है। शिक्षा की जब बात आई तो आज भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जायेगें, जिसमें शिक्षा की असमानता मिल जायेगी, प्राचीन काल में नारी शिक्षा और बालिका शिक्षा का विशेष प्रबन्ध था, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व तक बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यन्त सोचनीय थी। आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियो में भेदभाव किया जाता है-, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लड़कियों की स्थिति सोचनीय हो जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग शिक्षा के महत्व से परिचित नहीं हो पाते हैं। उनकी दृष्टि में पुरूषों को शिक्षा की जरूरत होती है क्योंकि वे नौकरी तथा काम करने बाहर जाते हैं जबकि लड़कियां तो घर में रहती हैं, और शादी के बाद घर में उनका कामकाज में ही ज्यादातर समय बीत जाता है। हमारे देश की नारी शिक्षा संसार के अन्य देशों की अपेक्षा - है अत्यनत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण। प्रजातांत्रिक देशों में बालिका शिक्षा को सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए पुरूषों के समान ही स्त्रियों को भी समान अधिकार दिये जाते हैं, और विकास के लिए समान सुविधाऐं भी दी जाती हैं। स्त्रियां समाज का आधार स्तम्भ होती हैं। भारत में तो नारियों को सदैव से ही आदरपूर्ण स्थान दिया जाता है, शिक्षित नारी ही परिवार एवं समाज की शोभा है, मनु ने ठीक कहा है -

" यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता "

अर्थात जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं, स्त्री देश की संस्कृति धर्म, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान का स्तम्भ होती है। नारी विभिन्न रूपों में राष्ट्र तथा समाज की सेवा करती है। सबसे पहले माता के रूप में वह देश के भावी नागरिकों का निर्माण करती है और बालक की शिक्षा सर्वप्रथम माता की गोद से ही प्रारम्भ होती है। सुशिक्षित स्त्रियां कुछ क्षेत्रों में पुरूषों से भी अधिक निपुण सिद्ध हुई है। यदि स्त्रियों को पुरूषों की भांति शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाय तो वे भी कुशल समाज, सुधारक, व्यवसायी, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, अधिवक्ता, कारीगर तथा राजनीतिक नेता बनकर देश को समृद्धशाली बना सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व व्यापक मानव अधिकार घोषणा की गई, जिसमें जाति, प्रजाति, रंग, लिंग और भाषा श्रेणी का लिहाज किए बिना प्रत्येक को सुरक्षा व सुविधा का प्रावधान था। विएना घोषणा ने 1995 में बीजिंग में होने वाली स्त्री पर विश्व सम्मेलन का स्वागत किया और कहा कि स्त्रियों को पुरूषों के सादृश्य अधिकार दिये जायें, जिससे कि वे विकास प्रक्रिया शिक्षा सूचना तथा संचार प्रक्रिया में समान रूप से कार्य करने व लाभ उठाने योग्य बन सकें

आज हम सबके लिए शिक्षा की मांग कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता स्पष्ट हो जाती है, स्त्री, शिक्षा का मूल है, स्त्रियों की शिक्षा के द्वारा सम्पूर्ण समाज को शिक्षित किया जा सकता है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के स्त्री शिक्षा के विषय में विचार इस प्रकार हैं कि मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वयं मानव का विकास ही है। स्त्रियां ही है जो अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ी को हस्तान्तरित करती है, तथा जब विश्व में न राज्य थे, न चर्च थे, न पंडित थे, तब स्त्रियां ही समाजिक नीति व मापदण्डों की रक्षक थीं, यदि भूत वर्तमान और भविष्य स्त्री के सुकोमल शरीर से जुड़कर एक जैविक इकाई का रूप न ले लेते तो न यह सभ्यता होती न कोई इतिहास होता। अतः आज स्त्रियों के लिए आवश्यक हैं, कि वे समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझे।

वैदिक काल में बालिकाऐं ब्रह्म्चर्य व्रत का पालन करती थीं स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी और वे पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि अनेक संहिताओं की रचना महिला कवियित्रियों द्वारा की गई। यथाघोषा-, मैत्रेयी, गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, शकुन्तला, अनुसुइया, प्रियम्वदा आदि का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार पुरूषों की भांति स्त्रियां समाज की सभ्य शिक्षित एवं सम्मानित अंग थीं। वैदिक काल में बालक के समान बालिकाओं की शिक्षा गुरूकुल में न होकर घर में होती थी। जहां वे गृहस्थिक जीवन से सम्बन्धित ज्ञानार्जन करती थी। उनकी शिक्षा अधिकतर अपने परिवारों में माता-पिता भाई बहन या फिर कुल पुरोहित के द्वारा दी जाती थी। बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य रचना, वादविवाद की भी शिक्षा दी जा-ती थी।

बौद्ध धर्म की व्यवस्था के अनुसार भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का आदेश था। फलस्वरूप संघ में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी, अतः बौद्ध धर्म के प्रारम्भ में बालिका शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ समय पश्चात अपनी विमाता महाप्रजापति एवं प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह करने पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, जिसके फलस्वरूप स्त्री शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। स्त्रियों की शिक्षा के लिए मठों एवं विहारों की स्थापना हुयी जहां पर उन्होने ब्रहम्चर्य व्रत का पालन करते हुए धर्मशास्त्रों एवं साहित्य का मनन कर अपना मानसिक विकास एवं चारित्रिक निर्माण किया। सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा लंका आदि देशों में धर्म प्रचार के लिए गयीं थीं। डॉ० अल्तेकर के अनुसार स्त्रियों के संघ में प्र -वेश करने की आज्ञा से स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से समाज के कुलीन एवं व्यवसायिक वर्गों की शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला बौद्ध काल में केवल कुलीन एवं व्यवसायिक वर्गों की स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिलने के कारण स्त्री शिक्षा उच्च वर्ग तक ही सीमित रही।

मुगलकाल में पर्दा प्रथा होने के कारण बालिकाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इस्लाम स्त्री शिक्षा का निषेध नहीं करता अतः शिक्षा का निषेध न होने के कारण अमीर परिवार की बालिकाओं को घर में ही विद्याभ्यास करने का अवसर प्राप्त हो जाता था। राज-

परिवारों की बालिकाएं बड़े होने पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करती थी, जबकि जनसाधारण की छोटी बालिकाएँ मदरसों में पढ़ने जाया करती थीं, उनका उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सीख लेना था। किन्तु मदरसे में केवल उन्हीं व्यक्तियों की पुत्रियां अध्ययन कर सकती थीजो धन . गम नेव्यय करने में समर्थ थी। मुगलकाल में राजकुमारियों की शिक्षा के प्रति विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। बाबर की पुत्री गुलबदन बे हुमायूँनामा की रचना की। हुमांयू की भतीजी सलीमा सुल्तान ने फारसी भाषा में अनेक कविताओं का सृजन किया।

ब्रिटिश काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझकर उसकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया सम्भवतः इसका कारण यह था कि उसे अपने प्रशासकीय एवं व्यवसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यधिक रूढ़िवादी था। कम्पनी के शासन काल में बालिका विद्यालयों की स्थापना मिशनरियों और सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप हुयी। सन् 1951 में मिशनरियों द्वारा बालिका विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था। जिसमें शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या कम थी। व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप स्थापित किए जाने वाले बालिका विद्यालयों में सबसे प्रसिद्ध कलकत्ता का बेथ्यून स्कूल था। इसका शिलान्यास सन् 1849 ई० में सरकार के कानून सदस्य जे०ई० डॉ० बेथ्यून के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त 1904 में श्रीमती ऐनीबेसेन्ट ने बनारस में सेण्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल का निर्माण किया। 1916 में दिल्ली में महिलाओं के लिए हार्डिग मेडिकल कालेज की स्थापना हुयी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश काल में विभिन्न आयोगों, सरकारी घोषणाओं व शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रयासों एवं समितियों में स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सिफारिशों व सुझाव प्रस्तुत किए गए। (बालिका)

स्वतंत्र भारत में नारी की सामाजिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। जिन बंधनों वह बंधी हुयी थी वह शनैः शनैः ढीले होते जा रहे हैं, जिस स्वतन्त्रता से उसे वंचित कर दिया गया था, वह उसे पुनः प्राप्त कर रही है। उसके सम्बन्ध में पुरूषों का दृष्टिकोण बदल रहा है ,उनकी मान्यताएँ भी बदल रही हैं। भारतीय संविधान ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यही कारण है कि स्वतन्त्र भारत नारी जागरण का युग बन गया है और स्त्री शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विलक्षण क्रांति परिलक्षित हो रही है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

शिक्षा मानव विकास की प्रथम श्रृंखला है जो कि व्यक्ति को परिपूर्ण बनाती है। वैसे तो शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसका प्रारम्भ बालक के जन्म के साथ शुरु हो जाता है किन्तु जैसेजैसे बालक वृद्धि करता है और आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसके सामने - अनेक प्रकार कीसमस्याएं आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्वतन्त्रता के पश्चात अनुभव किया गया कि बालिका शिक्षा देश की समस्त शैक्षिक संरचना की नींव है और यदि नींव ही कमजोर होगी तो उस पर स्थित शिक्षा रूपी भवन दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सकता है। यही कारण रहा है कि संविधान में भी इस सम्बन्ध में राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र सरकार ने अपनी जागरूकता के चलते 1976 के संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची के अन्तर्गत कर लिया है लेकिन इसकी ठोस वित्तीय और प्रशासनिक जरूरतों के कारण केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच उत्तरदायित्वो का बँटवारा आवश्यक हो गया है।

भारतीय समाज में आज भी बालक व बालिकाओं के बीच दोहरे मानदण्ड अपनाऐ जाते हैं, समाज में अप्रगतिशील विचारों वाला पुरूष वर्ग नारी की महत्ता को स्वीकार नही करता है, बल्कि वह नारी शिक्षा का विरोध करके अट्टहास करता है भले ही उसकी संतान निरक्षर रह जाये, वह अपनी रूढ़िवादिता, धार्मिक संकीर्णता एवं नारी जाति पर शासन करने की चिरकाल से विरासत में मिलने वाली धारणा का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही प्रजातंत्र की मांगों की पूर्ति न हो और भले ही भारत स्त्रियों व बालिकाओं की अशिक्षा के कारण प्रगति की दौड़ में अन्य देशों से पीछे रह जाये। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अनेक रूढ़िवादी विचारों, धार्मिक अन्धविश्वासों एवं प्राचीन परम्पराओं को खण्डखण्ड करके सारहीन सिद्ध कर दिया है-, किन्तु अज्ञानता के कूप में पड़े हुए करोड़ों भारतीय अब भी उनसे चिपके हुए हैं, वे अब भी

प्राचीन विश्वासों एवं विचारों का पोषण एवं समर्थन करते हैं। फलस्वरूप स्त्री शिक्षा अपने सीमित एवं संकुचित दायरे से बाहर नहीं रह पा रही है, इसके अतिरिक्त स्त्रियों की इस सोचनीय दशा के लिए केवल पुरूष वर्ग ही नहीं बल्कि स्वयं बालिका वर्ग भी अपनी संकीर्णता एवं पिछड़ेपन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में बालिकाओं का शोषण आज भी जारी है चाहें वह दहेज हत्या के रूप में हो या कन्या भ्रूण हत्या के रूप में अतः यदि बालिकाएं शिक्षित होगी तो वे अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को भलीभांति समझेंगी व उसके प्रति जागरूक - रहेंगी होगी तथा समाज द्वारा अपने शोषण के प्रति आवाज उठायेंगी व सचेत। शिक्षा आयोग) 1964- 66) ने भी बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि हमारे मानवीय साधनों के पूर्ण विकास के क्रम में शैशवावस्था के सर्वाधिक संस्कारग्राही वर्षों में बच्चों के चरित्र के निर्माण के लिए स्त्रियों की शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्त्री शिक्षा प्रसव दर घटाने में भी सहायक हो सकती है। आधुनिक समाज में स्त्रियों का कार्य घर और सन्तान पालन से कहीं आगे है। वह अब अपने निजी व्यवसाय अपना रही है और समान विकास के सभी पहलुओं के उत्तरदायित्व में पुरूषों का हाथ बँटा रही है। स्वतंत्रता संघर्ष में स्त्रियां भी पुरूषों के साथ लड़ी परन्तु स्वतंत्रता मिलने के बाद किए गये प्रयासों के बावजूद शिक्षा प्रणाली महिलाओं की समानता के प्रति पर्याप्त योगदान नहीं कर सकीं। शिक्षा के माध्यम से समाज में बालिकाओं के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है तथा उन्हें इस योग्य बनाया जा सकता कि वे अपने अस्तित्व के महत्व को समझ सकें व उसकी रक्षा स्वयं करने में समर्थ हो सकें। अतः इसी उद्देश्य हेतु वर्तमान अध्ययन चयनित किया गया है। इसके माध्यम से बालिका शिक्षा के प्रति ग्रामीण तथा शहरी पुरूषों के विचारों को जानने का एक सूक्ष्म प्रयास किया गया है।

समस्या कथन

“ बालिकाओं की शिक्षा के प्रति ग्रामीण तथा शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन। ”

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत लघु शोध के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं –

1. लखनऊ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. लखनऊ जिले के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. लखनऊ जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

- लखनऊ जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावकों का बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

अध्ययन का परिसीमांकन

समस्या के परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी सीमा को निश्चित करना आवश्यक होता है क्योंकि विविध दृष्टिकोण वाले विषयों को सम्मिलित करना असम्भव तो नहीं किन्तु कठिन अवश्य हो जाता है। शोधकर्ता ने सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्या **बालिकाओं की “ ” शिक्षा के प्रति ग्रामीण तथा शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन** के लिए निम्नलिखित सीमाओं को निश्चित किया है।

प्रस्तुत शोध की सीमाएं इस प्रकार हैं –

1. प्रस्तुत शोध में आंकड़ों का संग्रहण केवल लखनऊ जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से किया गया है।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया है।
3. समय एवं साधनों की सीमितता के कारण 100 अभिभावकों को)50 ग्रामीण एवं 50 शहरीको प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया (है।

अनुसंधान विधि

प्रस्तुत शोध वर्तमान परिस्थिति को इंगित करती है तथा इस शोध में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अनुसंधान प्रणालियों में सर्वेक्षण विधि का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण किसी क्षेत्र, समूह या संस्था की वर्तमान स्थिति को जानने, विश्लेषित करने, व्याख्या करने तथा प्रतिवेदन करने का एक सुनियोजित प्रयास है। सर्वेक्षण से तात्पर्य ऐसी अनुसंधान प्रणाली से है जिसमें अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाकर किसी विशेष घटना का वैज्ञानिक निरीक्षण करता है तथा उसके सम्बन्ध में खोज करता है। सीमित समय में शोध के लिए सर्वेक्षण विधि ही सर्वोपरि मानी जाती है।

जनसंख्या

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध के अंतर्गत लखनऊ जिले में स्थित समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को जनसंख्या में सम्मिलित किया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन के लिए न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के 50 अभिभावक एवं शहरी क्षेत्र के 50 अभिभावकों का चयन किया गया है ,अभिभावकों का चयन **यादृच्छिक न्यादर्श विधि** से किया गया है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

लखनऊ जिले में स्थित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को ज्ञात करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का संग्रहीकरण एवं प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने आँकड़ों के संग्रह के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए शोधकर्ता द्वारा प्रश्नावली विकसित की गई थी, जिसमें 5-बिंदु लिकर्ट पैमाने पर आधारित 30 बंद अंत वाले आइटम(प्रश्न) शामिल थे। प्रश्नावली के पहले भाग का उद्देश्य उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय विशेषताओं जैसे नाम, शैक्षिक योग्यता, आयु, लिंगपता , के बारे में जानकारी एकत्र करना था। दूसरे भाग में 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पर आधरित 30 क्लोज एंडेड आइटम शामिल है। उत्तरदाताओं को 1 से 5 तक पांच बिन्दु लिकर्ट पैमाने का उपयोग करके अपनी राय देने के लिए कहा गया था। अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली सांख्यिकीय विधियों के अंतर्गत मध्यमानपरीक्षण का प्रयोग -मानक विचलन तथा टी , किया गया है।

विश्लेषण व्याख्या एवं परिणाम

परिकल्पना क्रमांक 01 –

स्ववित्तपोषित डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की भौतिकवित्तीय एवं शिक्षण अधिगम , सम्बन्धी समस्याओं में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

सारणी क्रमांक 01 –

बालिकाओं की शिक्षा के प्रति ग्रामीण तथा शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्राप्तांकों का सांख्यिकीय विश्लेषण

समूह परीक्षण	अभिभावकों की संख्या (N)	माध्य (M)	प्रामाणिक विचलन मान (S.D.)	स्वतंत्रता का अंश Degree Of Freedom (D.F.)	टीमान- (t-Value)	सार्थकता स्तर (Level Of Significance)	परिकल्पना स्वीकृत / अस्वीकृत
ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति	50	81.48	7.21	98	2.81	0.05	परिकल्पना अस्वीकृत
शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति	50	84.66	3.54				

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण अभिभावकों का बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 81.48 मानक विचलन 7.21 तथा शहरी अभिभावकों का बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 84.66 तथा मानक विचलन 3.54 पाया गया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर अन्तर की सार्थकता की जांच के लिए t -परीक्षण किया गया। जहाँ दोनों समूहों के मध्य t का मान D. F. (स्वतंत्रता का अंश)98 पर 2.81 है जो कि टी के टेबल की सारणी मान 1.98 से अधिक है। अतः इस स्तर पर यह परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

अध्ययन निष्कर्ष- :

प्रस्तुत लघु शोध हेतु संकलित आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए : -

1. बालिकाओं के लिए शिक्षा दहेज प्रथा के संबंध में ग्रामीण तथा शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है ,व्यवसायिक शिक्षा , ।

2. बालिकाओं को साक्षर बनानेउच्च शिक्षा तथा शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास के संदर्भ में ग्रामीण ,उनकी शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने , तथा शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

3. बालिकाओं को शिक्षा की अपेक्षा विवाहतथा शिक्षा द्वारा आत्मनिर्भर बनान ,े के संबंध में ग्रामीण तथा शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

सुझाव- :

बालिकाओं की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं-:

- बालिकाओं को अपने अभिभावकों को शिक्षा की उपयोगिता को बताना चाहिए एवं अपने माता पिता को-शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्किोण की तरफ ले जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं दी जाने वाली सुविधाओं को छात्राओं व अभिभावकों को जानकारी रखनी चाहिए जिससे आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा में आने वाले अवरोधों को समाप्त किया जा सके।
- अभिभावकों को अपनी बालिकाओं के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखनी चाहिए एवं बालक तथा बालिका में फर्क नहीं करना चाहिए।
- अभिभावकों को यह धारणा बदलने की आवश्यकता है कि बालिकाओं को शिक्षा देने के बाद उनके विवाह में समस्या आएगी।
- अभिभावकों को वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए कि देश में महिलाएं भी पुरूषों के समान कार्य कर रही हैं इस दृष्टिकोण को और भी सकारात्मक करने की आवश्यकता है।

आगामी शोध कार्य हेतु सुझाव-:

- प्रस्तुत शोध में केवल बालिकाओं की शिक्षा को लिया गया है। जबकि बालक एवं बालिका की शिक्षा के प्रति भी शोध कार्य किया जा सकता है।
- बालिका शिक्षा के प्रति घरेलू व कार्यशील महिलाओं की अभिवृत्ति का अध्ययन भी किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध कार्य हेतु 100 अभिभावक को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है। जबकि अग्रिम शोधार्थी विस्तृत न्यादर्श का चयन करके अपना अध्ययन सम्पादित कर सकते हैं। जिससे और भी प्रामाणिक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं।
- प्रस्तुत शोध केवल लखनऊ जिले तक सीमित है जबकि इसका स्तर और भी व्यापक किया जा सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ

बालिका शिक्षा के क्षेत्र में किया गया शोध तब तक सफल और सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उसकी उपयोगिता को आँका न जायें प्रस्तुत शोध का अध्ययन करने से बालिकाओं की शिक्षा के प्रति ग्रामीण तथा शहरी पुरूषों की अभिव्यक्ति के तुलनात्मक अन्तर को समझा जा सकता है। यदि बालिकायें शिक्षित होगी तो अपने अस्तित्व के महत्व को समझ कर समाज द्वारा शोषण के प्रति आवाज उठायेगी तथा शिक्षित बालिकायें अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हो जायेगी। बालिकाएं शिक्षा के द्वारा ही आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बन सकेगी एवं साथ ही साथ बालिकाओं में शिक्षा के प्रसार द्वारा जन्मदर में कमी लायी जा सकती है। शिक्षा द्वारा ही बालिकाएं अपने अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत होकर उनका भली प्रकार से प्रयोग कर सकेगी।

बालिकाओं में शिक्षा के प्रसार द्वारा रूढ़िग्रस्त विचारों को दूर किया जा सकता है तथा बालिकाओं में शिक्षा के प्रसार के माध्यम से दहेज प्रथा में कमी लायी जा सकती है। शिक्षित बालिकाएं देश की आर्थिक विकास व उन्नति में सहायक होने के साथ ही सामाजिक जागृति भी

ला सकती है। शिक्षा द्वारा ही बालिकाओं का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकता है तथा शिक्षा महिलाओं की सोच के दायरों को भी बढ़ाती है जिससे वह अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकती हैं। शिक्षित महिला अपने भविष्य को सही आकार देने में अधिक सक्षम हैं। और शिक्षित महिलाओं की वजह से बाल मृत्यु दर का जोखिम कम होता है। शिक्षित बालिकायें अपने भविष्य को सही आकार देने में अधिक सक्षम हैं। हम वर्षों से बाल केन्द्रित शिक्षा की बात करते हैं इसे ही हमें आगे बढ़ाना होगा और शिक्षा को शिक्षा के उद्देश्यों की ओर ले जाना होगा अर्थात शिक्षा तो सभी ले रहे हैं परन्तु जिस शिक्षित समाज, राज्य और राष्ट्र की कल्पना हमारे विद्वान करते रहे उस मार्ग से शिक्षा पथ भ्रमित हो रही है। जिसे आज की युवा पीढ़ी को समझना है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य संसाधन निर्मित करना ही नहीं बल्कि एक कुशल मानव का विकास करना है जो विवेक, समय, सक्षमता, विद्वता आत्म विश्वास से भरा हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. **अग्रवाल, बी०पी० (1981),** " आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएं ", विनोद पुस्तक मंदिरआगरा ,।

2. **वर्मा ,ए०) 2019),** "सार्वभौमिक बालिका की उच्च शिक्षा एक चुनौती पूर्ण उत्तरदायित्व" , भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका।

3. **पटेल, ए०) 2009),** शिक्षा की प्रगति के संदर्भ में बालिका "शिक्षा ", राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली ,।

4. **उपाध्याय, एस०) 2009),** ," शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ"शारदा पुस्तक भवन यूनिवर्सिटी , रोड इलाहाबाद ,।

5. **वर्मा ,ए०) 2019),** "सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एक चुनौती पूर्ण उत्तरदायित्व" , भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका।

6. **मंगलएस ,० के०एस ,मंगल & ०(2021)** व्यवहारिक विज्ञानों " ,में अनुसंधान विधियाँ ,"PHI Learning Private Limited, नई दिल्ली।

7. **त्रिपाठीएन,० (2021)** " ,स्त्रियों में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता एम "०फिल० पूना ,यूनिवर्सिटी।